Scanned with CamScanner

में वादी का नाम विमला, लक्ष्मी ,शारदा पुत्री चेतराम के स्थान पर बरोल , लिछमा लाली पुत्री चेतराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर नाम संशोधन करने की अभिशंषा की गई व राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 257 / 116 की कुल 18.1600हैक्. भूमि संयुक्त तौर से वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसमें वादीगण का नाम बरोल , लिछमा, लाली दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय विमला, लक्ष्मी ,शारदा पुत्री चेतराम के स्थान पर बरोल , लिछमा, लाली दर्ज किया गया है सही नाम विमला, लक्ष्मी ,शारदा पुत्री चेतराम है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम विमला, लक्ष्मी ,शारदा पुत्री चेतराम दर्ज है तथा सरपंच ग्राम पंचायत कानसर के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादीगण का नाम विमला, लक्ष्मी ,शारदा पुत्री चेतराम वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/ रिपोर्ट के आधार पर वादी का सही नाम विमला, लक्ष्मी ,शारदा पुत्री चेतराम होना प्रतित होता है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पैरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जवाब के सम्बंध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सरपंच ग्राम पंचायत कानसर का प्रमाण पत्र , शपथ पत्र / पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही करना के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं पैरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 257 / 116 की कुल 18.1600हैक्. भूमि में संयुक्त खाते में वादी का नाम बरोल , लिछमा, लाली पुत्री चेतराम अंकित है के स्थान पर विमला उर्फ बरोल पुत्री चेतराम पत्नि रामकुमार , लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी चौधरी पुत्री चेतराम पत्नि शिवचन्द ,शारदा उर्फ लाली पुत्री चेतराम पत्नी महावीर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/9/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. विमला पुत्री चेतराम पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लक्ष्मी चौधरी पुत्र चेतराम पत्नी शिवचन्द जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शारदा पुत्री चेतराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 696 सन 2019 निर्णय दिनांक- 14/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 257/116 की कुल 18.1600हैव भूमि में सयुक्त खाते में वादी का नाम बरोल , लिक्ष्मा, लाली पुत्री चेतराम अंकित है के स्थान पर विमला उर्फ बरोल पुत्री चेतराम पत्नि रामकुमार , लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी चौधरी पुत्री चेतराम पत्नि शिवचन्द ,शारदा उर्फ लाली पुत्री चेतराम पत्नी महावीर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/9/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

सशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. विमला पुत्री चेतराम पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 लक्ष्मी चौधरी पुत्र चेतराम पत्नी शिवचन्द जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 शारदा पुत्री चेतराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 696 सन 2019 निर्णय दिनांक-05/10/2020 (16/10/20)

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 257/116 की कुल 18.1600हैव भूमि में सयुक्त खाते में वादी का नाम बरोल , लिक्ष्मा, लाली पुत्री चेतराम अंकित है के स्थान पर विमला उर्फ बरोल पुत्री चेतराम पत्नि रामकुमार , लिक्ष्मा उर्फ लक्ष्मी चौधरी पुत्री चेतराम पत्नि शिवचन्द ,लाली के स्थान पर शारदा उर्फ लाली पुत्री चेतराम पत्नी महावीर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner